

1[प्ररूप सं. 26थय

[धारा 194ड, नियम 30(2क) और नियम 30 (6ग) और नियम 31क (4ग) देखें]

धारा 194ड के अधीन कर की कटौती का चालान-सह-विवरण

वित्तीय वर्ष	-	मुल्य शीर्ष कोड*		लघु शीर्ष कोड*	
कटौतीकर्ता का स्थायी खाता संख्या (पैन) या आधार					
कटौतीकर्ता का पूरा नाम*					
कटौतीकर्ता का पूरा पता					
					पिन
मोबाइल नं.		ई-मेल आईडी			
वह व्यक्ति जिसकी कटौती की गई है का स्थायी खाता संख्या पैन या आधार सं.					
पैन का प्रवर्ग*				पैन की स्थिति*	
वह व्यक्ति जिसकी कटौती की गई है का पूरा नाम					
वह व्यक्ति जिसकी कटौती की गई है का पूरा पता					
					पिन
मोबाइल नं.		ई-मेल आईडी			
संदाय की प्रकृति (संविदा/कमीशन/दलाली या वृत्तिक सेवाओं के लिए शुल्क के अनुसरण में कार्य)					
संविदा/करार की तारीख**		1 अप्रैल से महीने के अंत तक की अवधि के दौरान संकलित संदाय/प्रत्यय जिसमें संदाय प्रत्ययित किया गया है।			
क्या यह धारा 197 के अधीन प्रमाणपत्र के खाते पर कटौती नहीं की गई/कम कटौती का मामला है (हां/नहीं में चिह्न लगाएं)	<input type="checkbox"/>	हां	कटौती नहीं की गई या कम कटौती के लिए निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 197 के अधीन जारी किए गए प्रमाणपत्र की संख्या		
	<input type="checkbox"/>	नहीं			
क्या टीडीएस धारा 206कख के अनुसार उच्चतर दर पर काटा जाता है (हां/नहीं)***					
संदल/प्रत्यय की गई रकम (रु. में)	संदाय/प्रत्यय की तारीख**	वह दर जिस पर कटौती की गई (टिप्पण 1 देखें)	स्त्रोत पर कटौती किए गए कर की रकम	कटौती की तारीख**	
जमा की तारीख**	संदाय का ढंग		साथ-साथ ई-कर संदाय		
			पश्चातवर्ती तारीख पर ई-कर संदाय		
स्त्रोत पर कटौती किए गए कर के संदाय के ब्यौरे (रु. में रकम)					
टीडीएस (आयकर) (वह व्यक्ति जिस की कटौती की गई हो, इस रकम के कर का प्रत्यय दिया जाएगा) ब्याज फीस कुल संदाय शब्दों में कुल संदाय (रु. में)					
करोड़	लाख	हजार	सैकड़ा	दहाई	इकाई

*स्वतः अद्यतन किया जाए

**दिन दिन/माह माह/वर्ष वर्ष रुपविधान में है।

***धारा 206कख के उपबंध 1 अप्रैल 2022 से, धारा 194ड के अधीन कटौती के मामले में लागू नहीं हैं।

टिप्पण: धारा 206कख के उपबंधों के मामले में उच्चतर दर पर कटौती किया गया कर लागू।***